न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खेरलीमण्डी, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी : राजीव जिन्दल, आर.जे.एस.

आपराधिक प्रकरण संख्या : 522/2022

CNR NO. : RJAL360000952022

एफआईआर नम्बर : 399/22 पीएस खेरली

राजस्थान राज्य

—— **अभियोगी**

— बनाम —

हरकेश उर्फ बनिया पुत्र कजौडीराम उर्फ कज्जीराम उम्र 37 साल निवासी मान्या का बास पुलिस थाना खेरली जिला अलवर।

——— **अभियुक्त**

अपराध अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम

उपस्थित :–

1– विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी सुश्री सुगनबाई मीणा : वास्ते अभियोगी।

2– विद्वान अधिवक्तागण श्री संजय अवस्थी व अन्य : वास्ते–अभियुक्त।

–:: निर्णय ::– **दिनांक : 10.06.2026**

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कुंवरसिंह एचसी द्वारा एक तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 इस आशय की पेश की गयी कि दिनांक 08.09.22 को वह मय हमराही जाब्ते में कांस्टेबल आकाश, भगतसिंह मय सरकारी वाहन व चालक संजय के वास्ते कस्बा गस्त हेतु थाने से समय 6:35 पीएम पर रवाना होकर गस्त करते हुए कस्बा खेडली, सौखर, सोंखरी, दारोदा, सालवाडी, घाटा भांवर, उदयपुरा मोड होते हुए रात्री समय 1:20 ए.एम पर रोणीजा थान पहुँचा जहां जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मान्या का बास रोड पर एक व्यक्ति जिसके दाढी है, सड़क किनारे पास खड़ा हुआ है। जिसके पास अवैध देशी कट्टा हो सकता है जो किसी वारदात के फिराक में है। उक्त ईतला से हमराही जाप्ता को अवगत करा मय जाप्ता के रवाना होकर 1:30 एएम पर रोणीजा थान से आगे मान्या का बास सडक पर पहुंचा

तो एक शख्स सडक पर खड़ा हुआ नजर आया। जो पुलिस की गाडी व बावर्दी जाप्ता को देखकर भागने लगा जिसे उसने व मय हमराही जाप्ता ने घेरा देकर बामुश्किल पकडा व नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम हरकेश उर्फ बनिया पुत्र कजोडी राम निवासी मन्याका बास पुलिस थाना खेडली जिला अलवर होना बताया। जिसको चेक किया तो लोअर की बांयी आट में शर्ट के नीचे एक देशी कटटा 315 बोर लोडेड मिला। जिसे अनलोड किया गया। उक्त देशी कटटा व कारतूस रखने बाबत लाईसेन्स/वैध अनुज्ञापत्र के बारे में पूछा तो अपने पास कोई लाईसेन्स/वैध अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया। इस प्रकार उक्त शक्स का अवैध रूप से देशी कटटा रखना जूर्म धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय पाये जाने पर मोके पर ही कट्टा व कारतूस को पृथक से सील मोहर कर जब्त किया तथा कट्टे व कारतूस की सफेद कपडे की थैली पर मार्का ए अंकित किया गया। शख्स को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से अवगत करा जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया, आदि..........। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना खेडली द्वारा मुकदमा संख्या 399/22 अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के खिलाफ धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 11.11.2022 को प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. अभियुक्त के उपस्थित आने पर उसे दिनांक 16.05.2025 को अपराध अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का आरोप पृथक से विरचित किया जाकर सुनाया व समझाया गया तो सुन व समझकर अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी.ड. 1 आकाश, पी.ड. 2 भगतसिंह, पी.ड. 3 अशोक कुमार, पी.ड. 4 नरेन्द्र, पी.ड. 5 अमित यादव, पी.ड. 6 कुंवरसिंह के बयान लेखबद्ध करवाये गये।

दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये :–

प्रदर्श पी 1	फर्द जब्ती देशी कट्टा व जिंदा

	कारतूस
प्रदर्श पी 2	फर्द गिरफ्तारी
प्रदर्श पी 3	घटनास्थल का नक्शामौका
प्रदर्श पी 4	आर्मोरर की रिपोर्ट
प्रदर्श पी 5	27 ईवी एक्ट की ईतला
प्रदर्श पी 6	मालखाना रजिस्टर की नकल
प्रदर्श पी 7	अभियोजन स्वीकृति
प्रदर्श पी 8	मुलजिम का आपराधिक रिकॉर्ड
प्रदर्श पी 9	दिनांक 09.09.22 की रोजनामचा रपट
प्रदर्श पी 10	दिनांक 28.09.22 की रोजनामचा रपट
प्रदर्श पी 11	चार्जशीट
प्रदर्श पी 12	फर्द नमूना सील स्याही
प्रदर्श पी 13	तहरीरी रिपोर्ट
प्रदर्श पी 14	चाक एफआईआर
प्रदर्श पी 15	चैकलिस्ट

4. अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में किया गया तो उसने अपने विरूद्ध आई अभियोजन साक्ष्य एवं दस्तावेजात को गलत होना बताया तथा कथन किया कि, वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है तथा साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार किया।

5. बहस अंतिम सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया है कि, गवाहान द्वारा विरोधाभासी कथन किए गए हैं। प्रकरण में कोई भी गवाह स्वतंत्र गवाह नहीं है। स्वतंत्र गवाहों को जब्ती का गवाह नहीं बनाया है। अभियोजन स्वीकृति को अभियोजन द्वारा साबित नहीं किया है। अतः प्रकरण में संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाकर दोषमुक्त किया जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत सहायक अभियोजन अधिकारी ने

अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित होने का कथन कर उसे उचित दण्ड दिये जाने का निवेदन किया।

6. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ अवधार्य बिन्दु यह है कि,

1. क्या अभियुक्त हरकेश उर्फ बनिया ने दिनांक 08.09.2022 को समय करीब 01:30 ए.एम पर रोनीजाथान से आगे मान्या का बास सडक पर सरहदें थाना खेरली में अनन्य चैतन्य कब्जे में एक देशी कट्टा लोडेड .315 बोर को वैध अनुज्ञा पत्र के बिना रखा और इस प्रकार धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया।

2. यदि हां तो उचित दण्डादेश क्या हो ?

7. उक्त विचारणीय बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करे तो प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध विचारणीय बिन्दु को साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर फर्द जब्ती देशी कट्टा व जिंदा कारतूस प्रदर्श पी 1, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 2, घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 3, आर्मोरर की रिपोर्ट प्रदर्श पी 4, 27 ईवी एक्ट की ईतला प्रदर्श पी 5, मालखाना रजिस्टर की नकल प्रदर्श पी 6, अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी 7, मुलजिम का आपराधिक रिकॉर्ड प्रदर्श पी 8, रोजनामचा रपट प्रदर्श पी 9 व पी 10, चार्जशीट प्रदर्श पी 11, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 13, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 14 व चैकलिस्ट प्रदर्श पी 15 को प्रदर्शित कराया है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण साक्षी **पी.ड. 6 कुंवरसिंह** जो कि प्रकरण का जब्ती अधिकारी है, के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किये हैं कि वह दिनांक 08.09.2022 को थाना खेरली पर हैड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन वह, कांस्टेबल भगतसिंह, आकाश मय सरकारी गाड़ी चालक संजय के थाने से वास्ते करने गश्त सायंकालीन व लोकल स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु रवाना होकर कस्बा खेरली, सौंखर, सालवाड़ी से रवाना होकर उदयपुरा मोड़ पहुंचे। जहां जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति रोनिजाथान से आगे

मान्याकावास की तरफ रोड़ पर खड़ा है जो किसी वारदात को अंजाम दे सकता है। जिसके पास अवैध कट्टा है, आदि सूचना पर रवाना होकर समय 1:30 ए.एम पर पहुंचे तो जरिये मुखबिर सूचना के एक व्यक्ति मुताबिक इतला के सड़क के किनारे खड़ा हुआ नजर आया जो बावर्दी पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे हमराही जाब्ता की मदद से घेरा देकर पकड़ा। जिसका नाम पता पूछा तो अपना नाम हरकेश उर्फ बनिया पुत्र कजोड़राम निवासी मान्याकावास होना बताया। जिसे चैक किया तो लोअर की बाईं आंट में कमीज के नीचे एक देशी कट्टा 315 बोर लोडेड मिला। जिसे अनलोड किया गया। देसी कट्टा व कारतूस रखने बाबत् लाइसेंस व अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। इस प्रकार व्यक्ति का उक्त कृत्य 3/25 आर्म्स एक्ट की तारीफ में पाया जाने पर स्वतंत्र गवाह तलाश किये लेकिन आस पास के कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। जिस पर हमराही जाब्ता में आकाश व भगतसिंह कांनि को मौतबिर मामूर कर शख्स हरकेश के कब्जे से मिले .315 बोर देसी कटटा को जरिये फर्द जब्त कर एक सफेद कपड़े की थैली में कारतूस व कट्टे को रखकर मार्का ए अंकित किया गया व आरोपी हरकेश को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात मय जाब्ता मय मुलजिम मय जब्तशुदा कट्टा कारतूस के रवाना होकर हाजिर थाना आया। कारतूस व कट्टे को जमा मालखाना किया गया। उसके द्वारा थाने पर आरोपी हरकेश के विरूद्व प्रकरण दर्ज कराया गया। मौके पर फर्द जब्ती एक देसी कट्टा व कारतूस 315 बोर बनाई जो प्रदर्श पी 1 है। मुलजिम हरकेश को जरिये फर्द प्रदर्श पी 2 से गिरफ्तार किया। प्रकरण की पत्रावली में प्रयुक्त सील प्रदर्श पी 12 है। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 है। असल मालखाना रजिस्टर की मद क्रमांक 655/22 जिसकी प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली है जो प्रदर्श पी 6 है। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 14 है। मुल0 हरकेश उर्फ बनिया की चैक लिस्ट दी गयी जो प्रदर्श पी 15 है। जिन सभी पर उनके हस्ता0 है।

- इसी क्रम में प्रकरण में जब्त माल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर गवाह **पी.ड. 6 ने आगे यह भी साक्ष्य दी है कि** एक शीलशुदा कपडे

की सफेद थैली आर्टीकल 01 है। कागज की चिट पर उसके हस्ताक्षर व XYZ स्थान पर उसकी सीलमोहर है। मुलजिम व गवाहान के भी हस्ताक्षर अंकित है। आर्टीकल 01 के अन्दर जब्तसुदा कटटा 315 बोर आर्टीकल 02 है। आर्टीकल 01 के अन्दर एक जिंदा कारतूस आर्टीकल 03 है। जो मुलजिम के कब्जे से जब्त किये हैं। **जिरह में कथन करता है कि यह कहना सही है कि जब्ती प्रदर्श पी 1 व नक्शाामौका प्रदर्श पी 3 पर स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है। घटना के वक्त कार्यवाही की रिकॉर्डिंग नहीं की थी। यह कहना सही है कि जब्त कट्टा व कारतूस पर फिंगरप्रिंट नहीं लिये गये थे। यह कहना गलत है कि उसने मुलजिम को झूठे मुकदमें में फंसाया हो।**

8. मौके के अन्य गवाहान **पी.ड. 1 आकाश व पी.ड. 2 भगतसिंह** के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी सशपथ साक्ष्य में सिलसिलेवार तरीके से अपनी मुख्यपरीक्षा में सारतः कथन किये हैं कि दिनांक 08.09.2022 को थाना खेडली पर पदस्थापित होते हुए गस्त हेतु समय 06.35 पी.एम पर रवाना हुए। गश्त करते समय 01:20 ए.एम पर जरिए मुखबीर एचसी साहब को सूचना मिली कि मान्याकाबास रोड पर एक व्यक्ति खडा है जिसके आंट में एक देशी कट्टा है। सूचना पर समय 01:30 ए.एम पर पहुंचे तो उक्त व्यक्ति मुताबिक सूचना खडा मिला। जिसकी तलाशी ली गई तो बायीं आंट में एक देशी कट्टा 315 बोर लोडेड मिला जिसे हैड साहब ने अनलोड किया। जिसके लाइसेंस बाबत पूछा तो नहीं होना बताया। जिस पर मुल0 से मिले एक देशी कटटे को जर्ये फर्द प्रदर्श पी 01 के जप्त किया। मुलजिम हरकेश उर्फ बनिया की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 2 व नक्शामौका प्रदर्श पी 3 है। जिन सभी पर उनके हस्ताक्षर हैं। जिरह में साक्ष्य दी है **कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी 01 व नक्शामौका प्रदर्श पी 3 पर स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत है कि फर्द जब्ती में फर्द जब्ती में कट्टे की लंबाई चौडाई का अंकन अंदाजे से किया हो बल्कि नापकर ही लिखा गया है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 1 में कट्टा नया था या पुराना, चालू था या नहीं, इस बाबत कोई हवाला नहीं किया गया है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 1 में जब्त**

कट्टा व कारतूस आज न्यायालय में नहीं है। यह कहना गलत है कि पुलिस ने मुलजिम को झूठा फंसाया हो।

9. गवाह **पी.ड. 3 अशोक कुमार** द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी सशपथ साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 28.09.2022 को आर्मोरर के पद पर पुलिस लाइन अलवर में तैनात था। उस दिन थाना खेरली की पुलिस तहरीर पर मुकदमा नंबर 399/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में जब्तशुदा माल थाना खेरली के कांस्टेबल आकाश 2551 जरिये फर्द सीलशुदा हालत में पैकेट मार्का 'ए' उसके समक्ष पेश किया। जिस पर उसके द्वारा केएस की लगी सील को खोलकर निरीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि एक देशी कट्टा 315 बोर का है। जिसका एक्शन मैकेनिज्म चालू हालत में है जो ठीक कार्य कर रहा है। जो फायर करने योग्य है एवं फायर आर्म्स की श्रेणी में आता है एवं एक जिंदा कारतूस 315 इंच बोर का है। जो जिंदा भरा हुआ है। जो फायर एम्युनेशन की श्रेणी में आता है। जिसके पेंदे पर 8 एमएम केएफ लिखा हुआ है। बाद निरीक्षण करके पुनः कट्टे व कारतूस को सील कर वापिस कांस्टेबल को सुपुर्द किया गया। उसके द्वारा तैयार की गई आर्म्स रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 है। जिस पर ए से बी उसकी रिपोर्ट है। सी से डी मय सील उसके हस्ताक्षर हैं। एक्स वाई जेड स्थान पर उसकी सील मोहर है। **जिरह में कथन करता है कि यह बात सही है कि कट्टा पुराना था या नया, इसका हवाला प्रदर्श पी 4 में नहीं है। जो सीलशुदा पैकेट उसे मिला था, उस पर मुताबिक जब्ती केएस का मार्का अंकित था। यह कहना गलत है कि पैकेट पर चपडी सील नहीं लगी हुई थी। यह बात सही है कि उसने प्रैक्टिकल में उक्त कट्टे से गोली को चलाकर नहीं देखा था लेकिन उसने हाथ से ड्राई हैण्डलिंग प्रैक्टिस करके देखा था। यह कहना गलत है कि कट्टा व कारतूस अलग–अलग पैकेटों में मिले हों बल्कि एक ही पैकेट में मिले थे।**

10. गवाह **पी.ड. 4 नरेन्द्र** के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी सशपथ साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 9.9.2022 को थाना खेरली पर हैड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन उसे मुकदमा नंबर 399/22 धारा 3/25 आर्म्स

एक्ट की एफआईआर मय फर्दार्थ के अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई। एफआईआर मय फर्दार्थ का अवलोकन किया गया। दौराने अनुसंधान गवाहों के बयान लेखबद्व किये। मुलजिम हरकेश से 27 ईवी एक्ट की इतला ली जाकर दिनांक 10.09.2022 को नक्शा मौका की कार्यवाही कर नक्शा मौका कशीद किया गया व मुलजिम हरकेश को ड्यूटी मजि0 के समक्ष पेश कर जेल दाखिल कराया गया व कट्टे व कारतूस का मैकेनिक मुआयना आर्मोरर पुलिस लाइन अलवर से करवाया जाकर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। अभियोजन स्वीकृति वास्ते श्रीमान जिला मजि0 अलवर को भिजवाई जाकर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर भाामिल पत्रावली की गई। बाद तफ्तीश से मुलजिम हरकेश उर्फ बनिया पुत्र कजोड़ीराम उम्र 33 साल जाति मीना निवासी मान्या का वास थाना खेरली जिला अलवर के विरूद्व अपराध अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का पाया जाने पर नतीजा पेश किया गया। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 है। मुलजिम हरकेश की 27 ईवी एक्ट की इतला प्रदर्श पी 5 है। जब्तशुदा कट्टा व कारतूस की आर्मोरर रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 है जो संलग्न पत्रावली है। मालखाना रजि0 की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली है जो प्रदर्श पी 6 है। मुलजिम हरकेश के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति जो जिला मजि0 से ली गई शामिल पत्रावली है जो प्रदर्श पी 7 है। मुलजिम हरकेश का आपराधिक रिकॉर्ड शामिल पत्रावली है। जो प्रदर्श पी 8 है। प्रकरण की पत्रावली पर नकल रोजनामचा रपट वापसी रिपोर्ट प्रदर्श पी 9 है व रवानगी प्रदर्श पी 10 है। जो शामिल पत्रावली है। प्रकरण की चार्जशीट प्रदर्श पी 11 है। जिस पर सभी जगह ए से बी एसएचओ साहब महावीर जी के हस्ताक्षर हैं। **जिरह में कथन करता है कि अभियोजन स्वीकृति बाबत दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद है। यह बात सही है कि जब्ती कट्टा व कारतूस उसके द्वारा नहीं बनाई। फर्द जब्ती पर नमूना सील लगी हुई थी। मुलजिम से जब्त कट्टा व कारतूस उसने मालखाने से खोलकर नहीं देखे थे। जब्त कट्टा व कारतूस न्यायालय में नहीं है। प्रदर्श पी 5 ईतला के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है। प्रदर्श पी 4, पी 6, पी 7 व पी 9 उसके द्वारा तैयार नहीं किया है। यह कहना गलत है कि उसने मुलजिम को झूठा फंसाया हो।**

11. गवाह **पी.ड. 5 अमित यादव** के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी

सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 4.11.2022 को वह वरिष्ठ सहायक के पद पर न्याय शाखा कलेक्ट्रेट अलवर मे कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नम्बर 399/22 मे धारा 3/25 आर्म एक्ट मे मुल0 हरकेश उर्फ बनिया के विरूद्व एक कटटा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर का बरामद हुआ। जिसमें श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट अलवर डॉ जितेन्द्र कुमार सोनी के द्वारा मुल0 के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति दी गयी जिनकी अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी 07 है जिस पर उनके हस्ता0 है। जिनके अधीनस्थ कार्य करने के कारण वे उनके हस्ता0 पहचानता है। **जिरह में कथन करता है कि अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी 7 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है।**

12. इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई समस्त मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्य का विचारणीय बिंदु के संदर्भ में समग्र अवलोकन व विश्लेषण करें तो प्रकरण में महत्वपूर्ण पी.ड. 6 कुंवरसिंह (जब्ती अधिकारी) तथा जब्ती के अन्य गवाह पी.ड. **1 आकाश व पी.ड. 2 भगतसिंह** द्वारा सिलसिलेवार तरीके से फर्द जब्ती देशी कट्टा व जिंदा कारतूस प्रदर्श पी 1 के समर्थन में न्यायालय के समक्ष कथन करते हुए अभियुक्त से दिनांक 08.09.2022 को समय 1:30 ए.एम मान्याकाबास पर उसके लोअर की बायीं आंट में एक देशी कट्टा 315 बोर लोडेड मिलना बताते हैं तथा अभियुक्त को जरिए फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 2 द्वारा गिरफ्तार किये जाना बताते हैं तथा घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 3 होना बताते हैं। प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श पी 3 का अवलोकन किया गया। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 1 में दिनांक 09.09.2022 को समय 1:45 ए.एम पर मुलजिम हरकेश के कब्जे से एक जिन्दा कारतूस अवैध देशी कट्टा 315 बोर मिलने का व उक्त दोनों को एक कपडे की थैली में रखकर सील्डमोहर कर जब्त किये जाने का व मार्का ए अंकित किये जाने का वर्णन है। इसी प्रकार फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 2 में दिनांक 09.09.2022 को समय 01:50 ए.एम पर मुलजिम को अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध में गिरफ्तार किये जाने का वर्णन है। इसी प्रकार नक्शामौका प्रदर्श पी 3 में दिनांक 10.09.2022 को समय 11:05 ए.एम पर परिवादी कुंवरसिंह एचसी की निशादेही पर घ

ाटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शामौका बनाये जाने का व “X” स्थान को घटनास्थल के तौर पर दर्शाये जाने का वर्णन है। प्रदर्श पी 01 लगायत प्रदर्श पी 3 के समस्त गवाहन प्रदर्श पी 1 लगायत पी 3 मे वर्णित तथ्यों बाबत न्यायालय के समक्ष समर्थनकारी साक्ष्य दी है एवं जिरह में कोई महत्वपूर्ण विपरीत कथन नहीं करते है एवं अभियुक्त द्वारा जिरह करने पर भी प्रदर्श पी 1 लगायत पी 3 में वर्णित तथ्यों पर पर्याप्त संदेह न्यायालय के समक्ष उत्पन्न नहीं हुआ है। अभियोजन द्वारा नकल रपट रोजनामचा प्रदर्श पी 9 तथा फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 12 भी साक्ष्य में प्रदर्शित कराये हैं। उक्त प्रदर्श पी 9 व पी 12 के अवलोकन उपरांत जब्ती अधिकारी की कार्यवाही को पूर्णतः समर्थन व बल मिलता है।

13. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा यह तर्क उठाया था कि प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श पी 3 के गवाह पुलिस कर्मचारी है एवं कोई स्वतंत्र गवाह जब्ती का नहीं बनाया गया है। जिस कारण जब्ती संदेहजनक है।

14. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के तर्को के परिप्रेक्ष्य में ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न न्यायिक सिद्धान्तों **यूपी राज्य बनाम कृष्ण गोपाल व अन्य (1988) 4 एससीसी 302, मदन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1978) 4 एससीसी 435 एवं मौहम्मद असलम बनाम महाराष्ट्र राज्य (2001) 9 एससीसी** में यह मत व्यक्ति किया है कि, *जब्ती अधिकारी जिसके द्वारा जब्ती को साबित किया गया है, उसके बयान केवल मात्र लोक सेवक होने के कारण नहीं नकारे जा सकते हैं।* इसी तर्क के परीपेक्ष्य में अन्य महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टान्त **करणजीत सिंह बनाम दिल्ली एडमिनिसट्रेशन 2003 5 एससीसी 291** *में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सारतः यह मत प्रतिपादित किया है कि, ऐसी कोई विधि नहीं है जो यह कहती हो कि, स्वतंत्र गवाहान के साक्ष्य से सम्पुष्ठि हुये बिना किसी पुलिस या विभागीय गवाह की साक्ष्य विद्यमान नहीं होती है। अन्य व्यक्तियों की तरह पुलिस के सन्दर्भ में भी यह उपधारणा की जायेगी कि, उन्होंने अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक किया है और पुलिस कार्मिकों की साक्ष्य को बिना किसी सुदृढ और*

श्रेष्ठ कारण के नकारना एक अच्छी न्यायिक सोच नहीं मानी जा सकती अर्थात पुलिस कार्मिकों के संबंध में वैसी ही उपधारणा की जानी चाहिये जैसी की अन्य गवाहान के संबंध में की जाती है। विभागीय साक्ष्य को तब तक विश्वसनीय माना जाना चाहिये जब तक कि, ऐसी साक्ष्य को नहीं माने जाने का कोई ठोस कारण पत्रावली पर मौजूद नहीं हो।

15. उपरोक्त विधिक स्थिति में प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श पी 3 के समस्त गवाहान द्वारा न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षा में प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श पी 3 के समर्थन में सम्पुष्टिकारक साक्ष्य दी है एवं अभियुक्त पक्ष को उपरोक्त फर्दों के समस्त गवाहान से जिरह करने का पर्याप्त अवसर भी प्रदान किया गया है एवं जिरह में जब्ती के किसी गवाह द्वारा ऐसी कोई विपरीत साक्ष्य नहीं दी है जिससे कि प्रदर्श पी 1 में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास किया जा सके। जब्ती के समस्त गवाह एक–दूसरे का समर्थन करते हुए भी न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देते हैं। अभियुक्त पक्ष द्वारा प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श पी 3 में वर्णित तथ्यों पर गवाहान की जिरह के दौरान लेशमात्र भी संदेह उत्पन्न नहीं किया है। अभियोजन द्वारा उपलब्ध बताई गई साक्ष्य से दिनांक 09.09.2022 को समय लगभग 1:30 एएम पर अभियुक्त से की गई बरामदगी को संदेह से परे प्रमाणित किया है। गवाह पी.ड 6 द्वारा मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 6 होना भी बताया है। प्रदर्श पी 6 से भी जब्ती की कार्यवाही को समर्थन प्राप्त होता है। इस प्रकार केवल यह आधार कि जब्ती के गवाह स्वतंत्र गवाह नहीं है, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श पी 3 व उसके समर्थन में आई साक्ष्य को पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता है। अतः विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क उपरोक्तानुसार स्वीकार्य नहीं है।

16. अब न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित करना है कि, दिनांक 08.09.2022 की रात्रि 1:30 एएम पर अभियुक्त के कब्जे से बरामद देशी कट्टा व जिंदा कारतूस आयुध की श्रेणी में आते हैं या नहीं। उक्त तथ्य के सन्दर्भ में पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य का अवलोकन व विश्लेषण किया गया तो प्रकरण के परिवादी

पी.ड 6 कुंवरसिंह द्वारा साक्ष्य में अभियुक्त के कब्जे से बरामद एक देशी कट्टा व जिंदा कारतूस को जब्त व सील्डमोहर कर वापसी पर जमा मालखाना व न्यायालय के समक्ष माल सील्ड अवस्था में प्रस्तुत होने पर जप्तसुदा कटटा 315 बोर आर्टीकल 02, आर्टीकल 01 कपडे की थैली के अंदर जिन्दा कारतूस आर्टीकल 3 होना बताया है।

17. इसी क्रम में गवाह पी.ड 3 अशोक कुमार दिनांक 28.09.2022 को पुलिस थाना खेडली से मुकदमा संख्या 399/22 में जरिए आकाश कांस्टेबल एक देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस पेश होने पर उनका मुआयना किये जाना व आर्मोरर मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 होना बताता है व कट्टा व कारतूस दोनों फायर आर्म्स की श्रेणी में होना बताता है। गवाह पी.ड 3 अशोक की साक्ष्य के दौरान मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 के संदर्भ में जिरह में कोई महत्वपूर्ण विपरीत कथन साक्ष्य में नहीं आए हैं।

18. पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 6, आर्मोरर की रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 का अवलोकन किया गया जिससे पी.ड 6 कुंवरसिंह व पी.ड 3 अशोक की साक्ष्य की सम्पुष्टि होती है व कोई विरोधाभासी कथन साक्ष्य में नहीं किया है। इसके अलावा जब्तशुदा आर्टिकल से जब्ती के उपरांत परीक्षण होने तक कोई छेडछाड हुई हो, ऐसा भी साक्ष्य से दृष्टिगत नहीं है। अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रदर्श पी 6 व प्रदर्श पी 4 में वर्णित तथ्यों बाबत् न्यायालय के समक्ष कोई संदेह उत्पन्न नहीं किया है। इस प्रकार गवाह पी.ड 6 कुंवरसिंह व पी.ड 3 अशोक की साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी 6(ए) व प्रदर्श पी 4 से यह तथ्य भी प्रमाणित होता है कि अभियुक्त के कब्जे से दिनांक 09.9.2022 को समय 1:30 एएम पर बरामद देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस आयुध की श्रेणी में आते हैं।

19. अब न्यायालय के समक्ष अभियोजन को यह तथ्य प्रमाणित करना है कि, अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3 आयुध अधिनियम के अधीन अभियोजन

प्रारंभ करने के लिये धारा 39 आयुध अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में समुचित पूर्व मंजूरी दी गई थी या नहीं। उक्त तथ्य के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श पी 7 अभियोजन स्वीकृति को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.ड 4 नरेन्द्र द्वारा साक्ष्य में अभियुक्त के संबंध में प्रदर्श पी 7 अभियोजन स्वीकृति को प्राप्त किये जाना बताया है। उक्त गवाह की साक्ष्य के दौरान अभियुक्त पक्ष की ओर से अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी 7 में वर्णित तथ्यों बाबत कोई संदेह न्यायालय के समक्ष उत्पन्न नहीं किया है।

20. यह सही है कि प्रदर्श पी 7 को तैयार करने वाला गवाह न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है। परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **चंदप्रकाश बनाम राजस्थान राज्य** में यह अभिमत दिया है कि, *We are of the considered opinion that the examination of the district magistrate to prove his consent is really not necessary.*

इसी प्रकार के एक अन्य न्यायिक दृष्टान्त **मौहम्मद इकबाल अहमद बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य सीआरएलजे 633 एससी** में यह अवधारित किया है कि, अभियोजन स्वीकृति को दो प्रकार से साबित किया जा सकता है।

प्रथम — कि मूल अभियोजन स्वीकृति पेश कर, जिसमें अपराध कारित किये जाने एवं अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने की संतुष्टि के आधार वर्णित होते है।

द्वितीय — यह तथ्य साबित करके कि अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने वाले अधिकारी के समक्ष समस्त तथ्य रख दिये गये थे एवं वे संतुष्ट थे।

इसी प्रकार एक अन्य न्यायिक दृष्टान्त **सीबीआई बनाम पी मुथुरमन 1996कि.लॉ जनरल 3638** में यह अभिनिर्धारित किया है कि, *अभियोजन स्वीकृति पर किये गये हस्ताक्षर को प्रमाणित करने वाले को अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी द्वारा या उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अथवा उस लिपिक द्वारा साबित किया जा सकता है, जो*

अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने वाले प्राधिकारी से परिचित है। अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर साबित हो जाते है एवं अभियोजन स्वीकृति स्पीकिंग है, तो ऐसी अवस्था में मामला यहीं समाप्त हो जाता है।

इसी प्रकार एक अन्य न्यायिक सिद्धान्त **बाबराली अहमदाली सैय्यद बनाम गुजरात राज्य 1991 कि.लॉ.जनरल गुजरात** में यह अवधारित किया है कि *अभियोजन स्वीकृति विधि अनुरूप है वहां प्राधिकारी के साक्ष्य द्वारा साबित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।* इसी प्रकार राज्य बनाम **के. नरसिंहचारी 2006 कि.लॉ.जनरल 518 सुप्रीम कोर्ट** में यह अवधारित किया है कि, *अभियोजन स्वीकृति एक लोक दस्तावेज है, जिसे साबित किये जाने बाबत् अभियोजन स्वीकृति को जारी करने वाले प्राधिकारी को साक्ष्य में बुलाने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि स्वीकृति जारी करने वाले प्राधिकारी के समक्ष समस्त सुसंगत सामग्री रख दी गई हो।*

21. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी 7 का अवलोकन करें तो यह प्रकट होता है कि, अभियोजन स्वीकृति बाबत् आदेश सकारण पारित किया गया है एवं प्रदर्श पी 7 में अभियोजन स्वीकृति जारी करने से पूर्व अभियुक्त से बरामद एक देशी कट्टा व कारतूस के संदर्भ में समस्त दस्तावेजों को संज्ञान में लेकर स्वीकृति जारी की गई है। प्रदर्श पी 7 के अवलोकन से यह प्रकट नहीं होता है कि, उक्त स्वीकृति को तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट अलवर द्वारा बिना विवेक का प्रयोग कर जारी किया हो। बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर फर्जी होने बाबत् कोई सुझाव गवाह पीडब्ल्यू 7 की साक्ष्य के दौरान नहीं दिया है।

22. इसके अतिरिक्त प्रदर्श पी 7 के सन्दर्भ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (ई) का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जिसमें यह बताया गया है कि, समस्त न्यायिक एवं पदीय कार्य नियमित रूप से किये हैं। गवाह पीडब्ल्यू 5 की साक्ष्य से यह प्रकट नहीं होता है कि, उक्त अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी 7 असाधारण परिस्थितियों में जारी की गई हो। इस प्रकार अभियोजन पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य से यह तथ्य भी प्रमाणित कर पाया है

कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3 आयुध अधिनियम के अधीन अभियोजन प्रारंभ करने के लिये धारा 39 आयुध अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में समुचित/पूर्व मंजूरी ली गई थी।

23. इसके अलावा गवाह पीडब्ल्यू 4 नरेन्द्र ने अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अपराध प्रमाणित मानते हुए साक्ष्य दी है। अभियुक्त के पास घटना की तारीख को उसके कब्जे से बरामद कट्टा व कारतूस को कब्जे में रखने बाबत् कोई वैध अनुज्ञा पत्र हो, ऐसी कोई साक्ष्य अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नहीं हुई है। लिहाजा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी से यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित है कि, अभियुक्त हरकेश उर्फ बनिया के अनन्य चैतन्य कब्जे से दिनांक 08.09.2022 की रात्रि करीब 01:30 ए.एम या उसके लगभग मान्या का बास पर अभियुक्त के कब्जे में से बांयी आंट में एक देशी कट्टा 315 बोर लोडेड अनुज्ञा पत्र के बिना बरामद हुआ जिसको अपने पास रखने का अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञापत्र नहीं था।

24. फलतः उपलब्ध साक्ष्य के विवेचन के आधार पर विचारणीय बिन्दु को सकारात्मक रूप से अभियोजन के पक्ष में तय किया जाकर अभियुक्त को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—आदेश—

25. एतद् द्वारा अभियुक्त **हरकेश उर्फ बनिया पुत्र कजौडीराम उर्फ कज्जीराम उम्र 37 साल निवासी मान्या का बास पुलिस थाना खेरली जिला अलवर** को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप के लिये दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त को सजा के बिन्दु पर पृथक से सुना जायेगा। अभियुक्त के पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(राजीव जिन्दल)
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट,खेरलीमण्डी

26. दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का बहस के दौरान तर्क रहा है कि, आरोपी के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब इस आधार पर अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत सहायक अभियोजन अधिकारी ने अधिवक्ता अभियुक्त के तर्को का प्रबल विरोध कर आरोपी को यथाउचित कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

27. उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया गया व आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन किया गया। हालांकि अभिलेख से अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी प्रमाणित नहीं है परंतु अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड प्रदर्श पी 8 साक्ष्य में आया है। अतः ऐसी स्थिति में अपराध की गंभीरता तथा प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों व परीस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त की आयु व आचरण को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय अभियुक्त को निम्नानुसार दण्डित किया जाना उचित समझता है।

आदेश

28. परिणामतः **हरकेश उर्फ बनिया पुत्र कजौडीराम उर्फ कज्जीराम उम्र 37 साल निवासी मान्या का बास पुलिस थाना खेरली जिला अलवर** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध होने के फलस्वरूप **दो वर्ष का साधारण कारावास तथा 1000/– रूपए (अक्षरे एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। **अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 15 दिन** का साधारण कारावास और भुगतेगा। उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में भुगती गयी सजा को धारा 428 सीआरपीसी के अनुसार मूल सजा में समायोजित किया जावे, तदानुसार अभियुक्त का सजा वारण्ट मूर्तिब हो।

29. अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 सीआरपीसी के तहत 10,000–10,000 रूपए की राशि का बंध पत्र व इसी कदर राशि का जमानतनामा इस आशय का प्रस्तुत कर तस्दीक करावें कि, निर्णय के विरूद्ध उच्चतर न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत होने एवं नोटिस जारी होने की

स्थिति में वह उच्चतर न्यायालय के समक्ष हाजिर होगा।

30. प्रकरण में जप्तशुदा कट्टा व कारतूस/माल बाद गुजरने मियाद अपील तथा अपील होने पर अन्यथा आदेश ना हो, तो नियमानुसार निस्तारित/जिला शस्त्रागार, अलवर में जमा करवायें जावे। निर्णय की प्रति अविलंब अभियुक्त को निःशुल्क दी जावे।

(राजीव जिन्दल)
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेरलीमण्डी

29. निर्णय आज दिनांक 10.06.2026 को सरे इजलास लिखाया जाकर उद्‌घोषित, हस्ताक्षरित व न्यायालय की मुद्रा सहित प्रसारित किया गया।

(राजीव जिन्दल)
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेरलीमण्डी